डीडीए, कुतुब गोल्फ कोर्स में गोल्फ टूर्नामेंट (एलजी कप) के आयोजन के लिए प्रस्ताव आमंत्रण सूचना (एनआईपी)

1. **परिचय:**

दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) वर्ष 2000 से एक वार्षिक कार्यक्रम के रूप में कुतुब गोल्फ कोर्स में प्रतिष्ठित गोल्फ टूर्नामेंट "द लेफ्टिनेंट गवर्नर गोल्फ कप" का आयोजन कर रहा है, जिसमें 6 दिनों की अवधि में पेशेवरों सहित 1000 से अधिक गोल्फ प्रेमी भाग लेते हैं। . डीडीए मार्च-2024 में कुतुब गोल्फ कोर्स, प्रेस एन्क्लेव रोड, नई दिल्ली-110017 में एलजी कप आयोजित करने की प्रक्रिया में है।

टूर्नामेंट की अवधि छह दिन यानी शुक्रवार, शनिवार और रविवार को दो सप्ताह में होगी जिसमें कुल 1300 प्रतिभागी (लगभग) होंगे। कार्यक्रम के अंतिम दिन दिल्ली के माननीय उपराज्यपाल मुख्य अतिथि हैं।

इवेंट मैनेजमेंट एजेंसियों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं जिनके पास प्रायोजक जुटाने सहित समग्र रूप से गोल्फ टूर्नामेंट आयोजित करने के क्षेत्र में विशेषज्ञता है।

2. **काम की गुंजाइश** :

टूर्नामेंट "लेफ्टिनेंट गवर्नर गोल्फ कप" के आयोजन में शामिल व्यय निम्नलिखित मदों के अंतर्गत होगा: -

- खिलाड़ियों के लिए भोजन और पेय पदार्थ (एफ एंड बी) (मादक पेय सहित) (1300) (नाश्ता, दोपहर का भोजन, उच्च चाय, कियोस्कसैट होल संख्या 4 और 16 पर जलपान)।
- कैडीज़/कर्मचारियों के लिए एफ एंड बी।
- सभी दिनों में मंच और फूलों की व्यवस्था सहित टेंटेज और संबंधित फर्नीचर।
- उपहार (1300)।
- स्कोरर और अंतिम परिणाम का प्रावधान।
- ड्रोन सहित फोटोग्राफी (स्टिल/वीडियो)। प्रत्येक गोल्फर को चार गेंद की तस्वीर सौंपी जाएगी।
- विजेता, उपविजेता और प्रायोजकों के लिए स्मृति चिन्ह/ट्रॉफियां (विवरण प्रबंधन द्वारा दिया जाएगा)।
- ब्रांडिंग (होर्डिंग, कोलाज आदि लगाना)।
- मुद्रण सामग्री.
- कैडी शुल्क.
- लाइव संगीत के लिए 4-व्यक्तियों का बैंड (अंतिम दिन के लिए, अस्थायी रूप से दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक)।
- चिकित्सा व्यय (हर दिन प्रदान की जाने वाली सुविधा)।
- ड्रॉ शीट बनाने सहित आरएसवीपी।

- एलजी कप के आयोजन से पहले कैडीज़ टूर्नामेंट (एलजी कप की शुरुआत से ठीक पहले बुधवार को)।
- उपरोक्त सूची संपूर्ण नहीं है और एजेंसी को आयोजन के सफल समापन के लिए साइट की आवश्यकता के अनुसार व्यवस्था करनी होगी।

इवेंट प्रबंधन एजेंसियां आयुक्त (खेल) और सचिव, क्यूजीसी के निर्देशों और समग्र पर्यवेक्षण के तहत काम करेंगी।

उपहारों के डिज़ाइन और गुणवत्ता को QGC प्रबंधन से अनुमोदित करना आवश्यक होगा।

यह अनुबंध एलजी कप के 3 वार्षिक गोल्फ टूर्नामेंटों के लिए होगा, जो आयुक्त (खेल) द्वारा निर्धारित इवेंट प्रबंधन एजेंसी के संतोषजनक प्रदर्शन के अधीन होगा।

3. **<u>पात्रता मापदंड:</u>**

- इवेंट मैनेजमेंट एजेंसी एक पंजीकृत कानूनी इकाई होनी चाहिए और उसके पास वैध जीएसटीआईएन और पैन होना चाहिए।
- बोली लगाने वाले का न्यूनतम वार्षिक कारोबार कम से कम रु. 2022-23 में समाप्त होने वाले पिछले पांच वित्तीय वर्षों में किन्हीं तीन वित्तीय वर्षों के दौरान एक करोड़।
- बोली लगाने वाली संस्थाओं के पास पिछले 5 वित्तीय वर्षों (2023-24 तक) में किसी भी 3 वित्तीय वर्षों में, प्रत्येक टूर्नामेंट में कम से कम 100 प्रतिभागियों वाले प्रति वर्ष कम से कम 4 गोल्फ टूर्नामेंट आयोजित करने का अनुभव होना चाहिए। इसके लिए दस्तावेजी प्रमाण प्रस्ताव के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा।
- बोली लगाने वाली संस्थाओं को भारत में किसी भी सरकार (केंद्र या राज्य) या पीएसयू या स्वायत्त निकाय या किसी गोल्फ कोर्स द्वारा ब्लैकलिस्ट या प्रतिबंधित नहीं किया जाना चाहिए।
- बोली लगाने वाली संस्थाओं के खिलाफ किसी भी अदालत में कोई आपराधिक कार्यवाही लंबित/प्रगति में नहीं होनी चाहिए।

4. **<u>चयन मानदंड:</u>**

इवेंट मैनेजमेंट एजेंसियों का चयन निम्नानुसार मूल्यांकन में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा।

कुल आवंटित अंक - 100
योग्यता अंक - 60

क्र.सं	**तकनीकी मुल्यांकन**	**अधिकतम. निशान**
1	पिछले पांच वित्तीय वर्षों में उच्चतम तीन वित्तीय वर्षों का औसत कारोबार • 1 करोड़ रुपये से 2 करोड़ रुपये तक औसत टर्नओवर – 8 अंक • 2 करोड़ रुपये से अधिक और 3 करोड़ रुपये तक का औसत कारोबार – 16 अंक • करोड़ रुपये से अधिक औसत कारोबार – 25 अंक	25
2	अनुभव • 3 वर्षों तक प्रति वर्ष कम से कम 4 गोल्फ़ टूर्नामेंट (प्रत्येक में न्यूनतम 100 प्रतिभागियों के साथ) आयोजित किए गए – 8 अंक • 4 से 5 वर्षों तक प्रति वर्ष कम से कम 4 गोल्फ़ टूर्नामेंट (प्रत्येक में	25

	न्यूनतम 100 प्रतिभागियों के साथ) आयोजित किए गए – 16 अंक • 5 वर्ष से अधिक समय तक प्रति वर्ष कम से कम 4 गोल्फ़ टूर्नामेंट (प्रत्येक में न्यूनतम 100 प्रतिभागियों के साथ) आयोजित किए गए हों – 25 अंक	
3	पिछले 3 वर्षों में आयोजित टूर्नामेंटों की संख्या • पिछले 3 वर्षों में 12 टूर्नामेंट तक आयोजित - 8 अंक • पिछले 3 वर्षों में 13 से 18 टूर्नामेंट आयोजित किए - 16 अंक • पिछले 3 वर्षों में 18 से अधिक टूर्नामेंट आयोजित - 25 अंक	25
4	एजेंसी द्वारा डीडीए के साथ राजस्व साझा किया जाएगा • रुपये तक. 20 लाख - 1 अंक प्रति रु. 1 लाख को न्यूनतम लाख में पूर्णांकित किया गया। (उदाहरण के लिए, यदि डीडीए के साथ साझा किया जाने वाला प्रस्तावित राजस्व 6.50 लाख रुपये है, तो 6 अंक दिए जाते हैं) • रु. 21 लाख और उससे अधिक - 25 अंक	25

यदि दो या दो से अधिक एजेंसियों के अंक समान हैं, तो उपरोक्त तालिका में क्रमांक 4 में अधिक अंक वाली एजेंसी का चयन किया जाएगा। यदि क्रमांक 4 में प्राप्त अंक भी समान हैं तो एजेंसी के चयन के लिए ड्रा निकाला जाएगा।

5. **<u>सुरक्षा जमा राशि:-</u>**

- चयनित एजेंसी को रुपये की राशि जमा करनी होगी। फिक्स्ड डिपॉजिट/आरटीजीएस के रूप में सुरक्षा जमा के रूप में 10.00 लाख (केवल दस लाख रुपये) जो कि समझौते की अवधि पूरी होने के 1 महीने बाद बिना ब्याज के वापस कर दिया जाएगा।
- सावधि जमा के मामले में, इसे "सीएयू स्पोर्ट्स, डीडीए" के नाम से जारी किया जा सकता है। आरटीजीएस के मामले में, खाते का विवरण इस प्रकार है:

  नाम: सीएयू स्पोर्ट्स डीडीए

  खाता संख्या: 1611994900

  आईएफएससी: केकेबीके0000184
- जिन शर्तों के तहत सुरक्षा जमा राशि जब्त की जाएगी, वे इस दस्तावेज़ और सत्यनिष्ठा समझौते की धारा 10 में सूचीबद्ध हैं। हालाँकि, यह एक विस्तृत सूची नहीं है और डीडीए ऐसे मामलों में सुरक्षा जमा राशि जब्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है, जैसा कि आयुक्त (खेल), डीडीए द्वारा एजेंसी की ओर से उल्लंघन/अपराधों पर विचार करने के लिए माना जाता है।

6. **<u>बोली-पूर्व बैठक:-</u>**

- कुतुब गोल्फ कोर्स, प्रेस एन्क्लेव रोड, नई दिल्ली-110017 में नोटिस आमंत्रण प्रस्ताव (एनआईपी) से संबंधित मुद्दों, यदि कोई हो, को स्पष्ट करने के लिए **<u>1st May 2024</u>** 10.00AMपर एक बोली-पूर्व बैठक आयोजित की जाएगी।
- कुतुब गोल्फ कोर्स का प्रबंधन प्रशासनिक अत्यावश्यकताओं पर समय-सीमा को संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

7. **<u>कार्यक्रम आयोजक को डीडीए द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाएं:-</u>**

- पाठ्यक्रम पर कोई कैपिटेशन शुल्क नहीं.

- टूर्नामेंट की अवधि के लिए होर्डिंग/प्रदर्शन।
- उपहारों के भंडारण के लिए पर्याप्त क्षेत्र निर्धारित किया गया है।
- बैक ड्रॉप सहित 12' x 12' आकार के अधिकतम 100 होर्डिंग्स।
- प्रति ऑटो प्रायोजक टूर्नामेंट की अवधि के लिए प्रति ब्रांड 2 कारों या 4 दोपहिया वाहनों से अधिक के लिए प्रदर्शन स्थान नहीं। (किसी भी अतिरिक्त प्रदर्शन के लिए शुल्क लिया जाएगा)।
- प्रति प्रायोजक एक कियोस्क। (किसी भी अतिरिक्त डिस्प्ले का शुल्क लिया जाएगा)।
- टूर्नामेंट की अवधि के लिए डीडीए के प्रत्येक खेल परिसर/गोल्फ कोर्स में 5 होर्डिंग्स प्रदर्शित करने की अनुमति है । (किसी भी अतिरिक्त प्रदर्शन के लिए शुल्क लिया जाएगा)।
- शराब का लाइसेंस डीडीए द्वारा खरीदा जाएगा।
- निम्नलिखित जनशक्ति डीडीए द्वारा प्रदान की जाएगी: 2 कैडी मास्टर, 4 स्टार्टर और 6 मार्शल ।

8. **<u>बोलीदाताओं द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज़</u>**

- प्रस्ताव स्वीकृति पत्र की स्कैन की गई प्रति (कंपनी के लेटर हेड पर दी जाए)।
- पैन नंबर की स्कैन की गई कॉपी
- जीएसटी पंजीकरण की स्कैन की गई प्रति।
- 2022-23 में समाप्त होने वाले पिछले पांच वर्षों के आईटी रिटर्न की स्कैन की गई कॉपी।
- वैध यूडीआईएन वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा विधिवत ऑडिट और प्रमाणित टर्नओवर प्रमाणपत्र की स्कैन की गई प्रति।
- क्रम के पैरा 2, पैरा 3 में उल्लिखित अनुभव प्रमाण पत्र की स्कैन की गई प्रति। 4 (चयन मानदंड)।
- रुपये के गैर-न्यायिक स्टांप पेपर पर उपक्रम की स्कैन की गई प्रति। 100/- कि बोली लगाने वाली एजेंसी भारत में किसी भी सरकार (केंद्र या राज्य) या पीएसयू या स्वायत्त निकाय या किसी गोल्फ कोर्स द्वारा ब्लैकलिस्टेड या प्रतिबंधित नहीं है और किसी भी अदालत में कोई आपराधिक कार्यवाही लंबित/प्रगति पर नहीं है।
- सत्यनिष्ठा संधि पत्र.
- एनआईपी की धाराओं के अनुसार आवश्यक कोई अन्य दस्तावेज।

आवश्यक जानकारी और/या दस्तावेजों के संबंध में कमी पाए जाने वाले किसी भी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जाएगा। इच्छुक बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए केवल प्रासंगिक दस्तावेज ही अपलोड करें।

9. **<u>नियम एवं शर्तें</u>**

- पूरा खर्च व्यक्ति/इवेंट मैनेजर द्वारा वहन किया जाएगा और कोई भी खर्च डीडीए द्वारा वहन नहीं किया जाएगा।
- उपहार और एफ एंड बी (मेनू) का विवरण सचिव, क्यूजीसी से प्राप्त किया जाएगा।
- संपूर्ण F&B क्लब लाइसेंसधारी द्वारा पूरा किया जाएगा।
- आयोजक द्वारा क्लब के सदस्यों से कोई टूर्नामेंट शुल्क नहीं लिया जाएगा।

- अनुबंध की अवधि एलजी कप के 3 (तीन) वार्षिक गोल्फ टूर्नामेंट आयोजित करने के लिए होगी। इवेंट मैनेजमेंट एजेंसी के संतोषजनक प्रदर्शन और आपसी सहमति पर इसे आगे 2 (दो) वार्षिक गोल्फ टूर्नामेंट के लिए बढ़ाया जा सकता है।
- वर्ष 2024 में, एलजी कप सितंबर / अक्टूबर 2025 में आयोजित किया जाएगा, इसके बाद यह फरवरी/मार्च में आयोजित किया जाएगा।

10. एनआईपी की वैधता बोली खुलने की तारीख से 75 दिनों के लिए होगी।
11. आयुक्त (खेल) या उनके द्वारा अधिकृत डीडीए का कोई अन्य अधिकारी एजेंसी द्वारा प्रदान की गई सेवाओं की गुणवत्ता के बारे में खुद को संतुष्ट करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। असंतोषजनक प्रदर्शन के मामले में, डीडीए अनुबंध की अवधि के दौरान अनुबंध को समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। इसके अलावा, संतोषजनक सेवा प्रदान करने में एजेंसी की ओर से विफलता के मामले में डीडीए सुरक्षा जमा जब्त कर लेगा। इस संबंध में आयुक्त (खेल) डीडीए का निर्णय अंतिम होगा।
12. एजेंसी संबंधित अधिकारियों के पास जीएसटी सहित सभी कर/लेवी जमा करने के लिए जिम्मेदार होगी।
13. यदि खाली स्लॉट हैं, तो क्यूजीसी गैर-प्रतिभागियों को अनुमति देने का अधिकार सुरक्षित रखता है
14. उक्त सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से एजेंसी को अपने एजेंटों, प्रतिनिधियों या कर्मचारियों के साथ परिसर में प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी। उक्त सेवाएं प्रदान करते समय एजेंसी के एजेंट, प्रतिनिधियों या कर्मचारियों द्वारा डीडीए को हुई किसी भी हानि, क्षति या चोरी के लिए एजेंसी जिम्मेदार होगी, जिसे एजेंसी की सुरक्षा जमा राशि से वसूल किया जाएगा।
15. प्रस्तावित समझौते/अनुबंध अवधि के दौरान एजेंसी को अपना काम किसी अन्य पार्टी, या उप-एजेंसी को देने की अनुमति नहीं दी जाएगी, न ही पूर्व अनुमोदन के बिना फर्म के नाम में बदलाव या इकाई के संविधान में बदलाव की अनुमति दी जाएगी। डीडीए का
16. अस्तित्व में किसी भी अन्य प्रथा के बावजूद, या किसी पूर्व समझौते या लिखित बातचीत के बावजूद, या किसी निविदा शर्त, या इस समझौते में किसी अन्य खंड या अनुबंध या इस समझौते में निर्दिष्ट किसी दस्तावेज़ के बावजूद, जीसीसी या सीपीडब्ल्यूडी मैनुअल में कोई प्रावधान, या कोई परिपत्र, दिशानिर्देश, निर्देश या कोई नियम या विनियमन, इसके द्वारा इस बात पर सहमति है कि इस समझौते के पक्षों के बीच किसी भी विवाद का समाधान दिल्ली की अदालतों के निर्णय द्वारा किया जाएगा और विवाद को मध्यस्थता या किसी अन्य माध्यम से हल नहीं किया जाएगा। वैकल्पिक विवाद निवारण तंत्र.
17. **<u>अनुबंध की समाप्ति</u>**

- यह अनुबंध किसी भी परिस्थिति में अहस्तांतरणीय है। यदि ऊपर उल्लिखित नियमों और विनियमों का कोई उल्लंघन होता है तो प्रबंधन इस अनुबंध को समाप्त करने की सिफारिश कर सकता है।
- पार्टियों के बीच किसी भी विवाद/मतभेद की स्थिति में, मामला आयुक्त (खेल), डीडीए को भेजा जाएगा। आयुक्त (खेल), डीडीए का निर्णय दोनों पक्षों पर बाध्यकारी होगा।
- एजेंसी को गोल्फ कोर्स परिसर के लिए उप-अनुबंध, या पट्टे पर देने या सेवाओं को किराए पर देने की अनुमति नहीं है, जब तक कि डीडीए और एजेंसी/व्यक्ति के बीच पारस्परिक रूप से और लिखित रूप से सहमति न हो।
- एजेंसी/व्यक्ति तीसरे पक्ष के सभी दावों और खराब गुणवत्ता वाले भोजन या सेवा के कारण किसी भी पक्ष द्वारा शुरू किए गए किसी भी दावे, शिकायत या अन्य कार्रवाई से उत्पन्न होने वाले किसी भी दायित्व के लिए जिम्मेदार होगा। एजेंसी/व्यक्ति के उत्पादों और सेवाओं के लिए। एजेंसी/व्यक्ति क्यूजीसी और डीडीए को कानून, अनुबंध के किसी भी उल्लंघन या एजेंसी द्वारा किए गए किसी

अन्य दायित्व के उल्लंघन के कारण होने वाले किसी भी नुकसान या क्षति के खिलाफ क्षतिपूर्ति प्रदान करता है और क्षतिपूर्ति रखने के लिए सहमत है। किसी भी पार्टी के प्रति व्यक्तिगत.

- डीडीए के साथ एक अनुबंध में प्रवेश करके, एजेंसी क्यूजीसी, डीडीए या उसके परिसर की संपत्ति के किसी भी हिस्से पर कोई भी अधिकार, शीर्षक या हित प्राप्त नहीं करेगी। अनुबंध केवल टूर्नामेंट की अवधि के दौरान गोल्फ कोर्स के निर्दिष्ट हिस्से का उपयोग करने का अधिकार प्रदान करता है। यह व्यवस्था, किसी भी तरह से, लाइसेंसधारी के पक्ष में पट्टा या ग्रहणाधिकार नहीं बनाती है।

18. **अप्रत्याशित घटना:**

निविदा के प्रावधानों के बावजूद, सफल बोलीदाता सुरक्षा जमा की जब्ती, परिसमाप्त क्षति या डिफ़ॉल्ट के लिए समाप्ति के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, यदि और इस हद तक, अनुबंध के तहत अपने दायित्वों को पूरा करने में प्रदर्शन में देरी या अन्य विफलता है अप्रत्याशित घटना की एक घटना का परिणाम.

इस खंड के प्रयोजन के लिए, "अप्रत्याशित घटना" का अर्थ सफल एजेंसी के नियंत्रण से परे एक घटना है और इसमें सफल एजेंसी की गलती या लापरवाही शामिल नहीं है और इसकी संप्रभु या संविदात्मक क्षमता में पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता है। ऐसी घटनाओं में दैवीय कृत्य, युद्ध या क्रांति, आग, बाढ़, महामारी, संगरोध प्रतिबंध और माल ढुलाई प्रतिबंध आदि शामिल हो सकते हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं। "अप्रत्याशित घटना" की स्थिति मौजूद है या नहीं, इसका निर्णय डीडीए द्वारा किया जाएगा और उसका निर्णय होगा। सफल एजेंसी और अन्य सभी संबंधितों पर अंतिम और बाध्यकारी होगा।

यदि सफल बोली लगाने वाला अप्रत्याशित घटना के कारण इस अनुबंध के तहत अपने दायित्वों को पूरा करने में सक्षम नहीं है, तो उसे अप्रत्याशित घटना की अवधि के लिए अपने दायित्व से मुक्त कर दिया जाएगा। यदि ऐसी अप्रत्याशित घटना छह महीने से अधिक समय तक चलती है, तो डीडीए के पास अनुबंध समाप्त करने का अधिकार है, ऐसी स्थिति में, पीबीजी उसे वापस कर दिया जाएगा।

यदि अप्रत्याशित घटना की स्थिति उत्पन्न होती है, तो सफल बोलीदाता को ऐसी स्थिति उत्पन्न होने की तारीख से 14 दिनों के भीतर तुरंत डीडीए को लिखित रूप में सूचित करना होगा। सफल बोलीदाता अप्रत्याशित घटना की स्थिति समाप्त होने के 3 दिन के भीतर डीडीए को सूचित करेगा। मामलों की जांच करने के बाद, डीडीए निर्णय लेगा और अप्रत्याशित घटना की अवधि के दौरान यदि आवश्यक हो तो काम पूरा करने के लिए उपयुक्त अतिरिक्त समय देगा। यदि ऐसी अप्रत्याशित घटना छह महीने से अधिक समय तक चलती है, तो डीडीए को अनुबंध समाप्त करने का अधिकार है, जिस स्थिति में सुरक्षा जमा उसे वापस कर दिया जाएगा।

19. इच्छुक इवेंट मैनेजमेंट एजेंसियां वित्तीय पहलुओं सहित अपना पूरा प्रस्ताव 06.05.2024 तक सचिव, क्यूजीसी, प्रेस एन्क्लेव रोड, नई दिल्ली- 110030 (टेलीफोन नंबर 011-20861731) को भेज सकती हैं। एक प्रति ईमेल द्वारा qgcdda@yahoo.co.in और commrsprts@dda.org.in पर भी भेजी जा

सकती है । भौतिक मोड या इलेक्ट्रॉनिक मोड में अपूर्ण प्रस्तावों के कारण आवेदन रद्द कर दिया जाएगा।

आरई/एई
दिल्ली विकास प्राधिकरण

प्रस्ताव स्वीकृति पत्र
(कंपनी के लेटर हेड पर दिया जाए)

तारीख:

को,

_____
_____
_____
_____

विषय: प्रस्ताव के नियम एवं शर्तों की स्वीकृति।

कार्य का नाम:

श:

प्रिय महोदय,

1. मैंने/हमने उपर्युक्त 'प्रस्ताव/कार्य' के लिए प्रस्ताव दस्तावेज़ वेबसाइट(वेबसाइटों) से डाउनलोड/प्राप्त कर लिया है, अर्थात् :_ _____ आपके विज्ञापन के अनुसार, उपर्युक्त वेबसाइट(वेबसाइटों) में दिया गया है।

2. मैं/हम एतद्द्वारा प्रमाणित करते हैं कि मैंने/हमने पृष्ठ संख्या से प्रस्ताव दस्तावेज़ के सभी नियम और शर्तें पढ़ ली हैं। _____ से _____ (अनुलग्नक, अनुसूची आदि जैसे सभी दस्तावेज़ों सहित, जो अनुबंध समझौते का हिस्सा हैं और मैं/हम इसमें शामिल नियमों/शर्तों/खंडों का पालन करेंगे।

3. इस स्वीकृति पत्र को प्रस्तुत करते समय आपके विभाग/संगठनों द्वारा समय-समय पर जारी शुद्धिपत्रों को भी ध्यान में रखा गया है।

4. मैं/हम इसके द्वारा उपर्युक्त प्रस्ताव दस्तावेज/शुद्धिपत्रों की प्रस्ताव शर्तों को उसकी समग्रता/संपूर्णता में बिना शर्त स्वीकार करते हैं।

5. यदि इस प्रस्ताव के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन पाया जाता है, तो आपका विभाग/संगठन किसी अन्य अधिकार या उपाय पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना इस प्रस्ताव/बोली को अस्वीकार करने के लिए स्वतंत्र होगा, और यदि प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद कोई उल्लंघन देखा जाता है, तो जब्त कर लें। पूर्ण सुरक्षा जमा बिल्कुल।

आपका विश्वासी,

(बोली लगाने वाले के हस्ताक्षर, आधिकारिक मुहर के साथ)

सत्यनिष्ठा समझौता

को

_____
_____
_____
_____

विषय: प्रस्ताव प्रस्तुत करना ।

कार्य का नाम:

उपशीर्ष : -

प्रिय महोदय,

मैं/हम स्वीकार करते हैं कि डीडीए प्रस्ताव/बोली दस्तावेज़ के साथ संलग्न सत्यनिष्ठा समझौते में उल्लिखित सिद्धांतों का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है।

मैं/हम सहमत हैं कि प्रस्ताव आमंत्रण नोटिस (एनआईपी) इस शर्त पर किया गया एक निमंत्रण है कि मैं/हम संलग्न सत्यनिष्ठा समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे, जो प्रस्ताव दस्तावेजों का एक अभिन्न अंग है, ऐसा न करने पर मैं/हम अयोग्य हो जाएंगे। बोली प्रक्रिया. मैं/हम स्वीकार करते हैं कि बोली लगाने को एनआईपी की इस शर्त की बिना शर्त और पूर्ण स्वीकृति माना जाएगा।

मैं/हम सत्यनिष्ठा समझौते की अक्षरशः स्वीकृति और अनुपालन की पुष्टि करते हैं और आगे सहमत हैं कि उक्त सत्यनिष्ठा समझौते का निष्पादन मुख्य अनुबंध से अलग और अलग होगा, जो तब अस्तित्व में आएगा जब प्रस्ताव/बोली अंततः डीडीए द्वारा स्वीकार कर ली जाएगी। /हम सत्यनिष्ठा समझौते की अवधि को स्वीकार करते हैं और स्वीकार करते हैं, जो संलग्न सत्यनिष्ठा समझौते के अनुच्छेद 1 के अनुरूप होगी।

मैं/हम स्वीकार करते हैं कि प्रस्ताव/बोली प्रस्तुत करते समय सत्यनिष्ठा समझौते पर हस्ताक्षर करने और स्वीकार करने में मेरी/हमारी विफलता की स्थिति में, डीडीए के पास बोली लगाने वाले को अयोग्य घोषित करने और प्रस्ताव/बोली को अस्वीकार करने का अयोग्य, पूर्ण और निर्बाध अधिकार होगा। प्रस्ताव/बोली के नियम और शर्तें।

आपका विश्वासी

सत्यनिष्ठा समझौता

(बोलीदाता द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए और वही हस्ताक्षरकर्ता डीडीए की ओर से संबंधित अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए सक्षम/प्राधिकृत होना चाहिए)

अखंडता समझौता

यह सत्यनिष्ठा समझौता……इस……20……दिन को किया जाता है।

बीच में

दिल्ली विकास प्राधिकरण , दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 3 के तहत गठित एक वैधानिक प्राधिकरण, AD/RE/AE/JE_____ (खेल परिसर/गोल्फ कोर्स का पता) _____ (इसके बाद 'प्रिंसिपल/मालिक' के रूप में संदर्भित) के माध्यम से प्रतिनिधित्व किया जाता है, जो अभिव्यक्ति है जब तक कि इसके अर्थ या संदर्भ के प्रतिकूल न हो, इसमें इसके उत्तराधिकारी और अनुमत असाइनमेंट शामिल होंगे)

और

……

(व्यक्ति/फर्म/कंपनी का नाम और पता)

…… के माध्यम से (इसके बाद इसे "बोलीदाता/एजेंसी" के रूप में संदर्भित किया जाएगा और यह अभिव्यक्ति तब तक नहीं होगी जब तक कि यह इसके उत्तराधिकारियों और अनुमत असाइनमेंट के अर्थ या संदर्भ के प्रतिकूल न हो)

प्रस्तावना

जबकि प्रिंसिपल/मालिक ने प्रस्ताव एनआईपी नंबर …… (जिसे इसके बाद "प्रस्ताव/बोली" कहा गया है) जारी किया है और निर्धारित संगठनात्मक प्रक्रिया के तहत, **एम/ओ**
_____ के लिए अनुबंध देने का इरादा रखता है।
कार्य का नाम:_____

_____

श:_____।
इसके बाद इसे "अनुबंध" के रूप में जाना जाता है और प्रिंसिपल/मालिक भूमि के सभी प्रासंगिक कानूनों, नियमों, विनियमों, संसाधनों के आर्थिक उपयोग और अपने बोलीदाताओं और एजेंसी के साथ अपने संबंधों में निष्पक्षता/पारदर्शिता के पूर्ण अनुपालन को महत्व देता है। एस)।
और जबकि उपरोक्त उद्देश्य को पूरा करने के लिए दोनों पक्ष इस सत्यनिष्ठा समझौते (इसके बाद इसे "अखंडता समझौता" या "संधि" के रूप में संदर्भित किया गया है) में प्रवेश करने के लिए सहमत हुए हैं, जिसके नियम और शर्तें भी अभिन्न अंग और पार्सल के रूप में पढ़ी जाएंगी। प्रस्ताव/बोली दस्तावेज़ और पार्टियों के बीच अनुबंध।

अब, इसलिए, इस समझौते में निहित आपसी अनुबंधों पर विचार करते हुए, पार्टियां इस प्रकार सहमत होती हैं और यह समझौता निम्नानुसार प्रमाणित होता है:

अनुच्छेद 1: प्रिंसिपल/मालिक की प्रतिबद्धता

1. प्रिंसिपल/मालिक भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सभी आवश्यक उपाय करने और निम्नलिखित सिद्धांतों का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है:

a) प्रिंसिपल/मालिक का कोई भी कर्मचारी, व्यक्तिगत रूप से या अपने परिवार के किसी सदस्य के माध्यम से, प्रस्ताव के संबंध में, या अनुबंध के निष्पादन के संबंध में, स्वयं या तीसरे व्यक्ति के लिए किसी भी सामग्री की मांग, वादा नहीं करेगा या स्वीकार नहीं करेगा। या सारहीन लाभ जिसका वह व्यक्ति कानूनी रूप से हकदार नहीं है।

b) बोली प्रक्रिया के दौरान प्रिंसिपल/मालिक सभी बोलीदाताओं के साथ समानता और तर्कपूर्ण व्यवहार करेगा। प्रिंसिपल/मालिक, विशेष रूप से, बोली प्रक्रिया से पहले और उसके दौरान, सभी बोलीदाताओं को समान जानकारी प्रदान करेगा और किसी भी बोली लगाने वाले को गोपनीय/अतिरिक्त जानकारी प्रदान नहीं करेगा जिसके माध्यम से बोलीदाता प्राप्त कर सके। बोली प्रक्रिया या अनुबंध निष्पादन के संबंध में लाभ।

c) प्रिंसिपल/मालिक किसी भी ऐसे व्यक्ति को बोली प्रक्रिया से बाहर करने का प्रयास करेगा, जिसका आचरण अतीत में पक्षपातपूर्ण प्रकृति का रहा हो।

2. यदि प्रिंसिपल/ मालिक अपने किसी कर्मचारी के आचरण के बारे में जानकारी प्राप्त करता है जो भारतीय दंड संहिता (आईपीसी)/भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (पीसी अधिनियम) के तहत एक आपराधिक अपराध है या यहां उल्लिखित सिद्धांतों का उल्लंघन है या यदि इस संबंध में कोई ठोस संदेह होने पर, प्रिंसिपल/मालिक मुख्य सतर्कता अधिकारी को सूचित करेगा और इसके अलावा अपनी आंतरिक निर्धारित नीतियों और प्रक्रियाओं के अनुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई भी शुरू कर सकता है।

अनुच्छेद 2: बोलीदाताओं/एजेंसियों की प्रतिबद्धता

1. यह आवश्यक है कि प्रत्येक बोलीदाता/एजेंसी (अपने संबंधित अधिकारियों, कर्मचारियों और एजेंटों सहित) उच्चतम नैतिक मानकों का पालन करें, और सरकार/विभाग को धोखाधड़ी या भ्रष्टाचार या जबरदस्ती या मिलीभगत के सभी संदिग्ध कृत्यों की रिपोर्ट करें जिनके बारे में उसे जानकारी है या हो गई है। बोली प्रक्रिया के दौरान और किसी अनुबंध की बातचीत या पुरस्कार के दौरान जागरूक रहें।
2. बोली लगाने वाले/एजेंसी को भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सभी आवश्यक उपाय स्वयं करने होंगे। यह बोली प्रक्रिया में अपनी भागीदारी के दौरान और अनुबंध निष्पादन के दौरान निम्नलिखित सिद्धांतों का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है।

    a) बोली लगाने वाले/एजेंसी सीधे या किसी अन्य व्यक्ति या फर्म के माध्यम से, बोली प्रक्रिया या अनुबंध के निष्पादन में शामिल प्रिंसिपल/मालिक के किसी भी कर्मचारी या किसी तीसरे व्यक्ति को प्रस्ताव, वादा या कुछ नहीं देंगे। बोली प्रक्रिया के दौरान या अनुबंध के निष्पादन के दौरान किसी भी प्रकार का कोई भी लाभ प्राप्त करने के लिए कोई भी सामग्री या अन्य लाभ जिसके लिए वह कानूनी रूप से हकदार नहीं है।

    b) बोलीदाता/एजेंसी अन्य बोलीदाताओं के साथ कोई भी अज्ञात समझौता या समझौता नहीं करेगी, चाहे वह औपचारिक हो या अनौपचारिक।
    यह विशेष रूप से कीमतों, विशिष्टताओं, प्रमाणपत्रों, सहायक अनुबंधों, बोलियों को प्रस्तुत करने या न प्रस्तुत करने या प्रतिस्पर्धात्मकता को प्रतिबंधित करने या बोली प्रक्रिया में कार्टेलाइज़ करने के लिए किसी अन्य कार्रवाई पर लागू होता है।

    c) बोली लगाने वाले/एजेंसी संबंधित आईपीसी/पीसी अधिनियम के तहत कोई अपराध नहीं करेंगे। इसके अलावा, बोली लगाने वाले/एजेंसी व्यावसायिक संबंध के हिस्से के रूप में प्रिंसिपल/मालिक द्वारा प्रदान की गई किसी भी जानकारी या दस्तावेज़ का अनुचित तरीके से उपयोग नहीं करेंगे , (प्रतिस्पर्धा या व्यक्तिगत लाभ के उद्देश्य से), या दूसरों को नहीं देंगे। योजनाओं, तकनीकी प्रस्तावों और व्यावसायिक विवरणों के संबंध में, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक रूप से निहित या प्रसारित जानकारी शामिल है।

    d) विदेशी मूल के बोलीदाताओं/एजेंसियों को भारत में एजेंटों/प्रतिनिधियों, यदि कोई हो, के नाम और पते का खुलासा करना होगा। इसी प्रकार, भारतीय राष्ट्रीयता वाले बोलीदाताओं/एजेंसियों को विदेशी एजेंटों/प्रतिनिधियों, यदि कोई हों, के नाम और पते का खुलासा करना होगा। या तो विदेशी प्रिंसिपल की ओर से भारतीय एजेंट या सीधे विदेशी प्रिंसिपल किसी प्रस्ताव में बोली लगा सकते हैं, लेकिन दोनों नहीं। इसके अलावा, ऐसे मामलों में जहां एक एजेंट एक एजेंसी/सेवा प्रदाता की ओर से प्रस्ताव में भाग लेता है , उसे बाद के/समानांतर प्रस्ताव में पहली

एजेंसी/सेवा प्रदाता के साथ-साथ किसी अन्य एजेंसी/सेवा प्रदाता की ओर से उद्धरण देने की अनुमति नहीं दी जाएगी। वही वस्तु.

e) बोलीदाता/एजेंसी, अपनी बोली प्रस्तुत करते समय, अनुबंध के पुरस्कार के संबंध में एजेंटों, दलालों या किसी अन्य मध्यस्थों को किए गए किसी भी और सभी भुगतानों का खुलासा करेगी या करने का इरादा रखती है।

3. बोलीदाता/एजेंसी किसी तीसरे व्यक्ति को ऊपर उल्लिखित अपराध करने के लिए नहीं उकसाएंगी या ऐसे अपराधों में सहायक नहीं बनेंगी।
4. बोलीदाता/ एजेंसी सीधे तौर पर या किसी अन्य व्यक्ति या फर्म के माध्यम से धोखाधड़ी के व्यवहार में शामिल नहीं होंगे, यानी जानबूझकर गलत बयानी या तथ्यों को छोड़ना या सार्वजनिक अधिकारी को निर्भरता में कार्य करने के लिए प्रेरित करने के लिए नकली/जाली दस्तावेज प्रस्तुत करना नहीं होगा। इसके द्वारा, अनुचित लाभ प्राप्त करने या दूसरों के उचित हितों को नुकसान पहुंचाने और/या सरकारी हितों की हानि के लिए खरीद प्रक्रिया को प्रभावित करने के उद्देश्य से।
5. बोलीदाता/एजेंसी सीधे या किसी अन्य व्यक्ति या फर्म के माध्यम से जबरदस्ती प्रथाओं का उपयोग नहीं करेगी (जिसका अर्थ है कुछ प्राप्त करने का कार्य, किसी कार्रवाई के लिए मजबूर करना या सीधे डराने, धमकाने या बल के उपयोग के माध्यम से किसी निर्णय को प्रभावित करना या अप्रत्यक्ष रूप से, जहां बोली प्रक्रिया में उनकी भागीदारी को प्रभावित करने के लिए किसी व्यक्ति, उसकी प्रतिष्ठा या संपत्ति को संभावित या वास्तविक चोट लग सकती है।

अनुच्छेद 3: उल्लंघन के परिणाम

कानून या अनुबंध या इसकी स्थापित नीतियों और निर्धारित प्रक्रियाओं के तहत प्रिंसिपल/मालिक को उपलब्ध किसी भी अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, बोली लगाने वालों द्वारा इस सत्यनिष्ठा समझौते के उल्लंघन के मामले में प्रिंसिपल/मालिक के पास निम्नलिखित अधिकार होंगे।)/एजेंसी और बोलीदाता/एजेंसी प्रिंसिपल/मालिक के पूर्ण अधिकार को स्वीकार करती है और उसका सम्मान करने और उसे बरकरार रखने का वचन देती है:

1) यदि बोली लगाने वाले/एजेंसी ने अनुबंध देने से पहले या अनुबंध के निष्पादन के दौरान उपरोक्त अनुच्छेद 2 के उल्लंघन के माध्यम से या किसी अन्य रूप में कोई उल्लंघन किया है, जैसे कि उसकी विश्वसनीयता या विश्वसनीयता पर सवाल उठाना, तो प्रिंसिपल एजेंसी को 14 दिन का नोटिस देने के बाद मालिक के पास बोली लगाने वालों/एजेंसी को बोली प्रक्रिया से अयोग्य घोषित करने या अनुबंध समाप्त करने/निर्धारित करने, यदि पहले ही निष्पादित हो चुका हो, या बोलीदाता/एजेंसी को भविष्य में अनुबंध देने से बाहर करने का अधिकार होगा। प्रक्रियाएँ। बहिष्करण का अधिरोपण और अवधि अपराध की गंभीरता के आधार पर निर्धारित की जाएगी और प्रिंसिपल/मालिक द्वारा निर्धारित की जाएगी। ऐसा बहिष्करण हमेशा के लिए या सीमित अवधि के लिए हो सकता है, जैसा कि प्रिंसिपल/मालिक द्वारा निर्णय लिया जाता है।
2) **सुरक्षा जमा की जब्ती:** यदि प्रिंसिपल/मालिक ने अनुबंध देने से पहले बोली लगाने वालों को बोली प्रक्रिया से अयोग्य घोषित कर दिया है या अनुबंध को समाप्त/निर्धारित कर दिया है या अनुच्छेद 3 के अनुसार अनुबंध को समाप्त/निर्धारित करने का अधिकार प्राप्त कर लिया है(1), प्रिंसिपल/मालिक, प्रिंसिपल/मालिक को प्राप्त किसी भी कानूनी अधिकार का प्रयोग करने के अलावा, अपनी सुविचारित राय में बोलीदाता/एजेंसी की सुरक्षा जमा की पूरी राशि को जब्त कर सकता है।
3) **आपराधिक दायित्व:** यदि प्रिंसिपल/मालिक को किसी बोलीदाता या एजेंसी, या किसी कर्मचारी या प्रतिनिधि या किसी बोलीदाता या एजेंसी के सहयोगी के आचरण का ज्ञान प्राप्त होता है जो आईपीसी अधिनियम के अर्थ के तहत भ्रष्टाचार का गठन करता है, या यदि प्रिंसिपल/मालिक ने इस संबंध में पर्याप्त संदेह होने पर, प्रिंसिपल/मालिक आगे की जांच के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों को इसकी सूचना देगा।

अनुच्छेद 4: पिछला अपराध:

1) बोलीदाता घोषणा करता है कि पिछले 5 वर्षों में किसी भी देश में भ्रष्टाचार-विरोधी दृष्टिकोण की पुष्टि करने वाली किसी भी अन्य कंपनी के साथ या केंद्र सरकार या राज्य सरकार या भारत में किसी अन्य

केंद्रीय / राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के साथ कोई पिछला उल्लंघन नहीं हुआ है जो उसके बहिष्कार को उचित ठहरा सकता है। बोली प्रक्रिया से.

2) यदि बोलीदाता इस विषय पर गलत बयान देता है, तो उसे बोली प्रक्रिया से अयोग्य ठहराया जा सकता है या प्रिंसिपल/मालिक द्वारा उचित समझे जाने पर बोलीदाता/एजेंसी की व्यावसायिक लेनदेन/अवकाश सूची पर प्रतिबंध लगाने की कार्रवाई की जा सकती है।
3) यदि बोलीदाता/एजेंसी यह साबित कर सकती है कि उसने अपने द्वारा किए गए नुकसान की भरपाई/ भरपाई कर ली है और एक उपयुक्त भ्रष्टाचार निवारण प्रणाली स्थापित की है, तो प्रिंसिपल/मालिक, अपने विवेक से, समय से पहले बहिष्कार को रद्द कर सकता है।

अनुच्छेद 5: सभी बोलीदाताओं/ एजेंसियों / उपएजेंसियों के साथ समान व्यवहार :

1) बोली लगाने वाले/एजेंसियां सभी उप-एजेंसियों से इस अखंडता समझौते के अनुरूप प्रतिबद्धता की मांग करने का वचन देती हैं। बोलीदाता/एजेंसी अपने किसी उप-एजेंसी/उप-विक्रेता द्वारा इस समझौते/संधि में निर्धारित सिद्धांत के किसी भी उल्लंघन के लिए जिम्मेदार होगी।
2) प्रिंसिपल/मालिक सभी बोलीदाताओं और एजेंसियों के साथ समान शर्तों पर समझौता करेगा।
3) प्रिंसिपल/मालिक उन बोलीदाताओं को अयोग्य घोषित कर देगा, जो प्रस्ताव के साथ प्रिंसिपल/मालिक और बोली लगाने वाले के बीच विधिवत हस्ताक्षरित समझौता जमा नहीं करते हैं या बोली प्रक्रिया के किसी भी चरण में इसके प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं, उन्हें बोली प्रक्रिया से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।

अनुच्छेद-6 - संधि की अवधि:

1) यह समझौता तब शुरू होता है जब दोनों पक्ष इस पर कानूनी रूप से हस्ताक्षर कर देते हैं। यह एजेंसी/विक्रेता के लिए, अनुबंध के तहत काम पूरा होने के 12 महीने बाद या दोष दायित्व अवधि जारी रहने तक, जो भी अधिक हो, समाप्त हो जाती है और अन्य सभी बोलीदाताओं के लिए, अनुबंध दिए जाने तक समाप्त हो जाती है।
2) यदि समय के दौरान कोई दावा किया/दर्ज किया जाता है, तो वह बाध्यकारी होगा और ऊपर निर्दिष्ट अनुसार इस समझौते की समाप्ति के बावजूद वैध बना रहेगा, जब तक कि इसे सक्षम प्राधिकारी, डीडीए द्वारा निर्वहन/निर्धारित नहीं किया जाता है।

अनुच्छेद 7- अन्य प्रावधान:

1) यह समझौता भारतीय कानून और सामान्य तौर पर नई दिल्ली के क्षेत्राधिकार और प्रिंसिपल/मालिक द्वारा सूचित प्रदर्शन के स्थान के अधीन है।
2) परिवर्तन और अनुपूरक लिखित रूप में किए जाने की आवश्यकता है। साइड समझौते नहीं किए गए हैं.
3) यदि एजेंसी एक साझेदारी या कंसोर्टियम है, तो इस समझौते पर सभी साझेदारों या एक या एक से अधिक साझेदारों द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए जिनके पास सभी साझेदारों और कंसोर्टियम सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित पावर ऑफ अटॉर्नी होनी चाहिए। किसी कंपनी के मामले में, समझौते पर बोर्ड संकल्प द्वारा विधिवत अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षर किया जाना चाहिए।
4) यदि इस संधि के एक या कई प्रावधान अमान्य हो जाते हैं, तो इस संधि का शेष भाग वैध रहता है। इस मामले में, पार्टियां अपने मूल इरादे पर सहमति बनाने का प्रयास करेंगी।
5) यह सहमत नियम और शर्त है कि इस सत्यनिष्ठा समझौते/संधि की शर्तों के संबंध में पार्टियों के बीच कोई भी विवाद या मतभेद उत्पन्न होता है, इस सत्यनिष्ठा अनुबंध/संधि या उसकी व्याख्या के अनुसार मालिक/प्रिंसिपल द्वारा की गई कोई भी कार्रवाई विषय नहीं होगी। मध्यस्थता के लिए.

अनुच्छेद 8- कानूनी और पूर्व अधिकार

पार्टियों के सभी अधिकार और उपाय अनुबंध और/या कानून के तहत ऐसी पार्टियों से संबंधित अन्य सभी कानूनी अधिकारों और उपायों के अतिरिक्त होंगे और इन्हें संचयी माना जाएगा और उपरोक्त ऐसे कानूनी अधिकारों और उपायों का विकल्प नहीं होगा। . संक्षिप्तता के लिए, दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हैं कि इस सत्यनिष्ठा समझौते को इस सत्यनिष्ठा समझौते के तहत शामिल किसी भी प्रावधान के संबंध में प्रस्ताव/अनुबंध दस्तावेजों पर प्राथमिकता दी जाएगी।

इसके साक्ष्य में पार्टियों ने निम्नलिखित गवाहों की उपस्थिति में ऊपर उल्लिखित स्थान और तारीख पर इस सत्यनिष्ठा समझौते पर हस्ताक्षर और निष्पादन किया है:

……..

(प्रिंसिपल/स्वामी के लिए और उनकी ओर से)

……..

(बोलीदाता/एजेंसी के लिए और उसकी ओर से)

गवाहः

1. …….

(हस्ताक्षर, नाम और पता)

2. ……..

(हस्ताक्षर, नाम और पता)

जगहः

दिनांकितः-